(TO BE PUBLISHED IN PART-IV OF THE DELHI GAZETTE-EXTRAORDINARY)
GOVERNMENT OF NATIONAL CAPITAL TERRITORY OF DELHI
(DEPARTMENT OF LAW, JUSTICE & LEGISLATIVE AFFAIRS)
8TH LEVEL, C-WING, DELHI SECRETARIAT, NEW DELHI

No.F.14(22)/LA-2008/ ulaw/17 Dated 11 the February, 2011

NOTIFICATION

No.F.14(22)/LA-2008/ ulaw/17 .- The following Act of the Legislative Assembly of the National Capital Territory of Delhi received the assent of the President of India on 17th January, 2011 and is hereby published for general information:-

"THE COURT-FEES (DELHI AMENDMENT) ACT, 2010
(DELHI ACT 01 OF 2011)

(As passed by the Legislative Assembly of the National Capital Territory of Delhi on the 29th November, 2010)

[17th January, 2011]

An Act further to amend the Court-Fees Act, 1870 (7 of 1870) in its application to the National Capital Territory of Delhi.

BE it enacted by the Legislative Assembly of the National Capital Territory of Delhi in the Sixty-first Year of the Republic of India as follows:-

1. Short title, extent and commencement.-(1) This Act may be called the Court-Fees (Delhi Amendment) Act, 2010.

(2) It extends to the whole of the National Capital Territory of Delhi.

(3) It shall come into force on such date as the Lieutenant Governor of the National Capital Territory of Delhi may, by notification in the Delhi Gazette, appoint.

2. Insertion of new section 16A.- In the Court-Fees Act, 1870 (7 of 1870), in its application to the National Capital Territory of Delhi, after section 16, the following section shall be inserted, namely:-

"16A. Refund of fees on settlement before hearing.- Whenever by agreement of parties-

(i) any suit is dismissed as settled out of Court before any evidence has been recorded on the merits of the claim; or

(ii) any suit is compromised ending in a compromise decree before any evidence has been recorded on the merits of the claim; or

(iii) any appeal is disposed of before the commencement of hearing of such appeal;

half the amount of all fees paid in respect of the claim or claims in the suit or appeal shall be ordered by the Court to be refunded to the parties by whom the same have been respectively paid.

Explanation.- The expression "merits of the claim" refers to matters which arise for determination in the suit not being matters relating to the frame of the suit, misjoinder of parties and cause of action, the jurisdiction of the Court to entertain or try the suit or the fee payable, but includes matters arising on pleas of res judicata, limitation and the like." "

DVS

11/02/11

(Tarun Sahrawat)
Addl. Secretary (Law, Justice & L.A.)

(दिल्ली राजपत्र असाधारण के भाग – 4 में प्रकाशनार्थ)
राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली सरकार
विधि, न्याय एवं विधायी कार्य विभाग
8वां तल, सी–विंग, दिल्ली सचिवालय, आई0पी0एस्टेट, नई दिल्ली–110002

संख्या फा0 14/(22)/एलए 2008/Law/17 दिनांक 11 फरवरी, 2011

अधिसूचना

संख्या फा0 14 (22)/एल.ए. 2008/Law/17.–राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली की विधान सभा के निम्नलिखित अधिनियम ने राष्ट्रपति की सहमति दिनांक 17 जनवरी, 2011 को प्राप्त कर ली है और इसके द्वारा जन साधारण की जानकारी के लिये प्रकाशित किया जाता है :–

"न्यायालय शुल्क (दिल्ली संशोधन) अधिनियम, 2010

(2011 का दिल्ली अधिनियम संख्या 01)

(29 नवम्बर, 2010 को राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली की विधानसभा द्वारा यथापारित)

न्यायालय शुल्क अधिनियम, 1870 (1870 का 7) में राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली में प्रवर्तन के लिए आगे संशोधन हेतू अधिनियम।

(17 जनवरी, 2011)

भारत गणराज्य के इकसठवें वर्ष में राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली की विधान सभा द्वारा निम्नलिखित रूप से यह अधिनियमित हो:–

1. **संक्षिप्त नाम विस्तार एवं प्रारंभ** .– (1) इस अधिनियम का संक्षिप्त नाम न्यायालय शुल्क (दिल्ली संशोधन) अधिनियम, 2010 है ।
(2) इसका विस्तार समस्त राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली पर है ।
(3) यह उस तारीख को लागू होगा जो दिल्ली के उप–राज्यपाल, सरकारी राजपत्र में अधिसूचना द्वारा नियत करे ।

2. **नयी धारा 16क का सन्निवेश** .– न्यायालय शुल्क अधिनियम, 1870 (1870 का 7) में राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली में इसके प्रवर्तन में धारा 16 के पश्चात् निम्नलिखित धारा को सन्निवेश किया जायेगा, अर्थात्:–

"**16क. सुनवाई से पूर्व निपटारे पर शुल्क की वापसी** .– जब–जब पक्षकारों के समझोते से –

(1) कोई वाद दावे के गुण–दोष पर कोई साक्ष्य अभिलेखबद्ध किये जाने से पूर्व न्यायालय से बाहर निपटान के रूप में खारिज होता है; या

(2) कोई वाद दावे के गुण–दोष पर कोई साक्ष्य अभिलेखबद्ध किये जाने से पूर्व समझौते के फलस्वरूप समझौता डिग्री द्वारा समाप्त होता है; या

(3) कोई अपील ऐसी अपील की सुनवाई शुरू होने से पूर्व निपटान की जाती है;

वाद या अपील में दावे या दावों के विषय में भुगतान किये गए समस्त शुल्कों की आधी राशि क्रमशः उन पक्षों को लौटाने के लिए न्यायालय आदेश करेगा जिनके द्वारा उनका भुगतान किया गया है ।

स्पष्टीकरण .– अभिव्यक्ति "दावे के गुण–दोष" ऐसे मामलों में संबंधित हैं जो वाद में सुनिश्चित करने के लिए सामने आते हैं, तथा जो दावे की रूपरेखा संबंधी मामलों, पक्षकारों का कुसंयोजन तथा कार्यवाही के कारण, वाद पर कार्यवाही करने या विचारण करने के क्षेत्राधिकार या देय शुल्क के विषय में न हो परन्तु इसमें पूर्व न्याय (रेस जुडिकाटा) का तर्क, अवधि (लिमिटेशन) तथा ऐसे मामले शामिल हैं ।" "

तरुन सहरावत
(तरून सहरावत)
अतिरिक्त सचिव (विधि, न्याय एवं विधायी कार्य)